"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2014—— वैशाख 31, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (8) में, अंक एवं शब्द "10% स्टाफ ऑफिसर से" के पश्चात्, कोष्ठक, अंक एवं शब्द "(6 पद अनुभाग अधिकारियों से भरे जाने के पश्चात्, 01 पद स्टाफ ऑफिसर द्वारा भरे जायेंगे, यह चक्रानुक्रम स्थिति होगी)" को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2014

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 19th May 2014

NOTIFICATION

No. F 3-2/2011/1-8. — In exercise of the powers, conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Column (8) of serial number 3 of Schedule-II, after the bracket and words "(Set-up)", the bracket, figure and words "(After filling the 6 posts from the Section Officers, 01 post will be filled by Staff Officer, this is the cyclic position)" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. CHURENDRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.